



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042021-226621
CG-DL-E-15042021-226621

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1474]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 13, 2021/चैत्र 23, 1943

No. 1474]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 2021/CHAITRA 23, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2021

का.आ. 1585(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 21 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"21.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 [किमी. 364.000 से किमी. 396.000 (किशगढ़ से अजमेर खंड), किमी. 0.00 से किमी. 59.00 तक और किमी. 263.500 से किमी. 388.000 तक (अजमेर – उदयपुर खंड) और किमी. 177.000 से किमी. 260.100 (गोमती का चौराहा – उदयपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 11 [किमी. 42.525 से किमी. 228.000 तक (उ. प्र./राजस्थान सीमा – भरतपुर – महुआ – जयपुर) और किमी. 246.200 से किमी. 298.075 (जयपुर – रींगस) तक खंड को छोड़कर], रारा 11-ए [किमी. 62.100 -	राजस्थान राज्य सरकार।

0.000 (मनोहरपुर – दौसा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 11-ए विस्तार [किमी 0.000 - 83.453 (दौसा –लालसोत-खौतुन खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 11बी [किमी. 0.00 से किमी. 186.000 (लालसोत – करौली – बारी - धौलपुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 11सी, सं. 12 [रारा-76 पर किमी. 18.700 से किमी. 165.000 से कोटा बाइपास जंक्शन तक (जयपुर – टोंक – देवली - कोटा) और किमी. 346.540 से किमी. 412.000 (झालावाड़ – राजस्थान/म. प्र. सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 14 [किमी. 0.000 से किमी. 244.000 (ब्यावर - पाली – पिंडवाड़ा) और किमी. 246.800 से किमी. 306.000 (पिंडवाड़ा – राजस्थान/गुजरात सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 15 [किमी. 0.000 से किमी. 123.410 और किमी. 144.500 से किमी. 297.200 {जैसलमेर – बाड़मेर – संचोर – गुजरात सीमा (गांधव पुल तक) खंड) तक}, किमी. 163.400 से किमी. 323.857 (फलोदी – जैसलमेर खंड) और किमी. 4.200 से किमी. 163.500 (बीकानेर – फालोदी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 65 [किमी. 0.000 से किमी. 154.141 (हरियाणा/राजस्थान सीमा से सालासर), किमी. 45.400 से किमी. 171.170 (सालासर -नागौर खंड),किमी. 161.275 से किमी. 180.500 (नागौर बाइपास खंड), किमी. 180.500 से किमी. 267.500 (जोधपुर –नागौर खंड) और किमी. 267.500 से किमी. 296.070 (नेत्र गांव – मंडोर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 71बी, सं. 79 (नसीराबाद से चित्तौड़गढ़ तक खंड को छोड़कर), सं. 89, सं. 90, सं. 112 [किमी. 140.000 से किमी. 225.615 (जोधपुर – पचपादरा खंड) और किमी. 254.800 से किमी. 328.900 (बागुंड़ी – बाड़मेर खंड) और [किमी. 0.000-111.00 (बाड़-बिलाड़ा-जोधपुर खंड) तक को छोड़कर], सं. 113 [किमी. 80.00 से किमी. 267.000 (प्रतापगढ़ – पादी – दाहोद) तक खंड को छोड़कर], सं. 114 [किमी. 11.000 से किमी. 176.040 (जोधपुर – पोखरन खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 116 [किमी. 1.300 - किमी. 69.750 (टोंक – सवाईमाधोपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 11, नई रारा सं. 25 वि., नई रारा सं. 54, नई रारा सं. 58 विस्तार (पुरानी रारा सं. 76ए), नई रारा सं. 158, नई रारा सं. 162ए, नई रारा सं. 162 विस्तार, नई रारा सं. 168ए, नई रारा सं. 248ए, नई रारा सं. 311, नई रारा सं. 325, नई रारा सं. 458, {किमी. 00.000 से किमी. 223.210 और किमी. 257.105 से किमी. 300.000 तक को छोड़कर}, नई रारा सं. 552 विस्तारित, नई रारा सं. 709 विस्तार, नई रारा सं. 921, नई रारा सं. 927ए और नई रारा सं. 954 के उतने भाग जो राजस्थान राज्य में अवस्थित हैं।	
---	--

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार अधिसूचना सं. का.आ. 1385(अ), दिनांकित 26 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14013/7/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2021

S.O. 1585(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the

erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 21 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

TABLE

(1)	(2)	(3)
“21	So much of National Highway No.8 [excluding from Km. 364.000 to Km. 396.000 (Kishangarh to Ajmer section), from Km. 0.00 to Km. 59.00 and from Km. 263.500 to Km. 388.000 (Ajmer–Udaipur section) and from Km. 177.000to Km. 260.100 (Gomti ka Chauraha–Udaipur section)], No.11 [excluding from Km. 42.525 to Km. 228.000 (UP/Rajasthan Border-Bharatpur-Mahua-Jaipur) and from Km.246.200 to Km.298.075 (Jaipur-Reengus)], NH 11-A[excluding Km. 62.100 - 0.000(Manoharpur-Dausa section] No.11-AExtension [excluding Km. 0.000 -83.453(Dausa-Lalsot-Khautun Section] No.11B [excluding from Km 0.00 to Km. 186.000 (Lalsot-Karauli-Bari- Dholpur)], No.11C, No.12 [excluding from Km.18.700 to Km.165.000 to Junction of Kota bypass on NH 76 (Jaipur-Tonk-Deoli-Kota) and from Km.346.540 to Km. 412.000 (Jhalawar-Rajasthan/Madhy Pradesh border)], No.14 [excluding from Km.0.000 to Km.244.000 (Beawar-Pali-Pindwara) and from Km.246.800 to Km.306.000 (Pindwara - Rajasthan/Gujarat Bordersection)], No.15 [excluding from Km. 0.000 to 123.410 and from Km. 144.500 to Km.297.200 {Jaisalmer-Barmer- Sanchor-up to Gujarat Border (upto Gandhav Bridge) section}], from Km. 163.400 to Km. 323.857 (Phalodi-Jaisalmer section) and from Km. 4.200 to Km. 163.500 (Bikaner-Phalodi section)], No.65 [excluding from Km.0.000 to Km. 154.141 (Haryana/Rajasthan Border to Salasar), from Km. 45.400 to 171.170 (Salasar- Nagaur Section, from 161.275 to Km. 180.500 (Nagaur bypass section), from Km.180.500 to Km. 267.500 (Jodhpur-Nagaur section) and from Km. 267.500 to Km. 296.070 (Netra village-Mandore section)], No. 71 B, No.79 (excluding from section Nasirabad to Chittorgarh), No.89, No.90, No.112 [excluding from Km. 140.000 to Km. 225.615 (Jodhpur-Pachpadra section) and from Km. 254.800 to Km. 328.900 (Bagundi-Barmer section)] and [excluding Km. 0.000 -111.00(Bar-Bilara-Jodhpur section] No. 113 [excluding from Km.80.00 to Km.267.000 (Pratapgarh-Padi-Dahod)], No. 114 [excluding from Km. 11.000 to Km. 176.040 (Jodhpur-Pokaran section)], No. 116 [excluding Km. 1.300 - Km. 69.750(Tonk-Sawaimadhopur section)] , new NH No. 11, new NH No. 25 extn, new NH No. 54, new NH No. 58 Extn (old NH No. 76A), new NH No. 158, new NH No. 162A, new NH No. 162 Extn, new NH No. 168A, new NH No. 248A, new NH No. 311, new NH No. 325, new NH No. 458 {excluding Km 00.000 to Km 223.210 and form Km 257.105 to Km 300.000}, new NH No. 552 Extended, new NH No. 709 Extn, new NH No. 921, new NH No. 927A and new NH No. 954 as are situated within the State of Rajasthan	State Government of Rajasthan

Note : The principal notification was published vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1385(E), dated the 26th March, 2021.

[F. No. NH-14013/7/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director